

# न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ.राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 336/2020 आवंटन निरस्त

- |  |      |   |
|--|------|---|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार<br>माण्डलगढ़ | बनाम | 1. मदन सिंह पुत्र सोहन सिंह राजपूत निवासी<br>गोठ            |
|  |      | 2. सीमा पत्नी मदन सिंह राजपूत निवासी<br>गोठ तहसील माण्डलगढ़ |

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपरिथत —

1. श्री दिनेशचन्द्र तिवाड़ी राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता — विपक्षी की ओर से

## निर्णय

दिनांक 14.09.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम गोठ पटवार हल्का खाचरोल की आ.न. 254/146 रकबा 1.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 10.10.2019 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 15.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम गोठ पटवार हल्का खाचरोल की आ. नं. 254/146 रकबा 1.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।



*[Handwritten Signature]*  
जति जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम गोठ पटवार हल्का खाचरोल की आराजी संख्या 254/146 रकबा 1.00 बीघा का आवंटन विपक्षी को किया गया जो विपक्षी के नाम पर गैर खातेदारी से अंकित की गयी थी। विपक्षी ने आवंटन के बाद आवंटन नियमों की पूरी पालना कर भूमि को विकसित किया एवं निरंतर काश्त की है। आवंटन के तीन वर्ष पश्चात् नियमानुसार आवंटी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कानून व नियमों में प्रावधान हैं। विपक्षी भूमिहीन काश्तकार है। निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र असत्य एवं सारहीन होने से निरस्त किया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम गोठ के आ.न. 254/146 रकबा 1.00 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव—

## आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम गोठ के आराजी नं. 254/146 रकबा 1.00 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार माण्डलगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम गोठ की आ.न. 254/146 रकबा 1.00 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ़ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राजेश गोयल)

अभि. जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

